

पत्रावली आग डिप कोट रजिस्ट्रार म पत्र
 इसी पत्रावली का क्रमानुसार डाकलोकन किया
 गया। आग रजिस्ट्रार की शरह में विहित
 ग्रांटे क्र. नं. 1078, 1118, 1119, 1121, 1122,
 1123, 1124 सिता-7 का कुल रकबा 5-60 ई.
 का वाडी व प्रतिवाडी लगायत 19 एकड़ भूमि
 में दर्ज है। उक्त वर्णित ग्रांटे लागू होती ग्रांटे
 हैं तथा विधिवत विभाजन नहीं हो सके।
 द्वारा 53 ई. प्रावधान के अनुसार वाडी व
 प्रतिवाडी अपनी ग्रांटे का एकल रिपोर्ट में
 दर्ज है तथा व रजि. के अनुसार विभाजन
 करवाने के अधिकारी हैं।

आदेश

वाडी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा
 प्रावधान सिद्धि इस आदेश की दी जाती है।
 आग रजिस्ट्रार की शरह में विहित ग्रांटे
 क्र. नं. 1078, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124
 सिता-7 का कुल रकबा 5-60 ई. का वाडी का
 दर्ज है। उक्त एवं रजि. के अनुसार शरह
 प्रावधान रखते इसे विधिवत विभाजन किया
 जाये। आदेश दिया जाता है। शेष खाता बंद
 रहेगा। अनुसार तहसीलदार उदयपुरवाडी उमय
 पदाधिकारी की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव
 तैयार करें तथा भय नमूना के दो प्रतिकों में
 न्यायालय हाका में प्रस्तुत करें। इसी पर
 जारी है।

पत्रावली फॉल भुमार लेकर नक्का
 करके तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आग डिप कोट 11-618 की डिप कोट
 रजिस्ट्रार में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाडी (ज.प.)